राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 54/2023

प्रार्थीगण :– **बनाम** **अप्रार्थीगण–**

1. श्री जेठाराम पुत्र देरामाराम जाति मेघवाल, निवासी भाटाला, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सड़ा, पंचायत समिति पायला कल्लां, जिला बालोतरा
2. श्री रूपाराम पुत्र उदाराम, जाति मेघवाल, निवासी भाटाला, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 07 दिनांक 17.07.2017 जो अप्रार्थी सं. 02 के नाम ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सांवलराम मेघवाल, जेठुलाल कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 17.07.2017 के विरूद्ध दिनांक 17.05.2022 को न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम भाटाला में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 07 दिनांक 17.07.2017 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची

जिला कलक्टर
बालोतरा

मे वर्णित अनुसार 294 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में आम रास्ता व 42, दक्षिण में हेमाराम/उदाराम का भूखण्ड व 42 फीट, पूर्व में लेहरोदेवी का भूखण्ड व 63 फीट, पश्चिम में आम रास्त व 63 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सड़ा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का कब्जासुदा भूखण्ड मौजा भाटाला की आबादी भूमि पर आया हुआ है, जिनका नाप व पड़ौस बदिशा उतर में रास्ता व 150 फीट, बदिशा दक्षिण में रतनाराम पुत्र सोनाराम का प्लॉट व 150 फीट, पूर्व में रास्ता व 120 फीट तथा पश्चिम में भोमसिंह, अमरसिंह का प्लॉट व 180 फीट आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का संयुक्त परिवार से कब्जा चला आ रहा है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 एक ही परिवार का सामलाती भूखण्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जो आलोच्य पट्टा जारी करने में न तो मौके का गहराई से अवलोकन किया और न ही कानूनी प्रकिया का पालन किया गया है। उक्त भूखण्ड संयुक्त रूप से पैतृक भूखण्ड है, इसके बारे में ग्राम सेवक द्वारा उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का नोटिस या सूचना नहीं दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उक्त आलोच्य पट्टा से संबंधित सूचना भी नहीं दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलिभगत कर गुप्त व फर्जी तरीके से उक्त आलोच्य पट्टा जारी करवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम उक्त आलोच्य भूखण्ड का पट्टा पूर्णतया विधि के प्रतिकूल, अवैधानिक, अनियमित तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में विहित प्रावधानों के विरूद्ध जाकर जारी किया गया है, जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस व लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य भूखण्ड को पैतृक भूमि बताते हुए यह निगरानी पेश की गई है, जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त आलोच्य पट्टे से संबंधित पैतृक भूमि होने बाबत् कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किए गए है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर प्रार्थी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। प्रार्थी द्वारा पेश

जिला कलक्टर
बालोतरा

निगरानी में व आलोच्य पट्टा में नाप व पडौस में मिलान नहीं हो रहा है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 30–40 सालो से रहवास है तथा पुराने पक्के मकान बने हुए है। उक्त आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 नियम 157(1) के तहत विधिसम्मत प्रकिया अपनाकर अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उक्त विवादित भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 के पैतृक स्वामित्व का न होकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 का सामलाती पैतृक भूखण्ड है। साथ ही यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलिभगत कर गुप्त व फर्जी तरीके से उक्त आलोच्य पट्टा जारी करवाया गया है। इस संबंध मे ग्राम पंचायत सड़ा से तलब किया गया अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने दिनांक 05.06.2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत सड़ा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई। जिसमें अप्रार्थी के पक्ष में नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। जिस पर दिनांक 17.07.2017 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा सं. 07 दिनांक 17. 07.2017 को जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया जाता है। जहां तक प्रार्थी का कथन हैं कि उक्त विवादित भूखण्ड पर प्रार्थी का पैतृक स्वामित्व व सामलाती का कब्जा कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का हैं। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के स्वयं के नाम का लाईट बिल एवं कब्जा के साक्ष्य हेतु रहवासी मकान का फोटो में उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 2 का स्वामित्व होना बताया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलेख जारी होने से यदि प्रार्थी अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं, तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी आलोच्य पट्टा संख्या 07 दिनांक 17.07.2017 को बहाल रखते हुए प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होना पाये जाने से खारिज किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा